

**झारखंड सरकार**  
**जल संसाधन विभाग।**

सं.सं.- 2406

राँची दिनांक:- 6.5.2020

**आदेश**

**विषय :- पश्चिम बंगाल राज्य में फँसे (Stranded) प्रवासी मजदूरों एवं अन्य व्यक्तियों के आवागमन (Movement) हेतु जिलावार पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति।**

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग) के आदेश ज्ञापांक 546/CS, दिनांक 29.04.2020 द्वारा अधोहस्ताक्षरी को पश्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेश एवं लद्दाख राज्य का नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है। मुख्य सचिव कार्यालय के पत्रांक 556/CS दिनांक 02.05.2020 द्वारा गृह मंत्रालय भारत सरकार के निदेशों के अनुपालन हेतु Standard Protocol निदेशित किया गया है।

नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) आपदा के क्रम में देशव्यापी लॉकडाउन की स्थिति में पश्चिम बंगाल में झारखण्ड राज्य के विभिन्न जिलों के श्रमिकों के फँसे (Stranded) होने की सूचना प्राप्त हो रही है।

उक्त के क्रम में पश्चिम बंगाल में फँसे झारखण्ड राज्य के प्रवासी मजदूरों/अन्य व्यक्तियों के संदर्भ में निम्न कार्य किये जाने हैं :-

1. पश्चिम बंगाल के संबंधित जिले में झारखण्ड के प्रवासी मजदूरों/अन्य व्यक्तियों द्वारा किये जाने वाले फोन कॉल को Receive करना तथा विहित प्रपत्र में इसका Log Book संधारित करना।
2. पश्चिम बंगाल के संबंधित जिले के झारखण्ड में फँसे हुए व्यक्तियों द्वारा किये जाने वाले calls को receive करना तथा विहित प्रपत्र में इसका logbook संधारित करना।
3. प्रवासी मजदूरों/अन्य व्यक्तियों के भोजन, आवासन एवं चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु स्थानीय जिला प्रशासन से संपर्क स्थापित करना।
4. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के आदेश ज्ञापांक 546, दिनांक 29.04.2020 में प्राप्त निदेशों के तहत Stranded मजदूरों आदि के झारखण्ड राज्य में वापसी हेतु पश्चिम बंगाल की Protocol एवं झारखण्ड की Protocol के तहत समन्वय स्थापित करना।

उपरोक्त कार्य हेतु विभाग के निम्नलिखित पदाधिकारियों को समन्वय हेतु पश्चिम बंगाल के निम्न जिलों आवंटित किये जाते हैं :-


| क्रमांक | जिला का नाम  | पदाधिकारी का नाम                                | मोबाईल संख्या |
|---------|--|---|---------------|
| 1       | 2  | 3   | 4             |
| 1.      | 1. बांकुड़ा<br>2. पूर्वी मेदिनीपुर<br>3. हावड़ा<br>4. पश्चिम बर्द्धमान | श्री सुरेश प्रसाद भगत,<br>कार्यपालक अभियंता-III | 9508544949    |
| 2.      | 1. कोलकाता   | श्री आलोक कुमार,<br>सहायक अभियंता               | 9508541729    |





|    |   |  |            |
|----|---|--|------------|
| 3. | 1. नादिया<br>2. मालदा<br>3. दक्षिण 24 परगना<br>4. दार्जिलिंग<br>5. पूर्वी बर्द्धमान<br>6. हुगली   | श्री अजय कुमार पाण्डेय,<br>सहायक अभियंता | 9508548146 |
| 4. | 1. उत्तर 24 परगना<br>2. उत्तर दिनाजपुर<br>3. बीरभूम<br>4. पश्चिम मेदिनीपुर<br>5. पुरुलिया<br>6. मुर्शिदाबाद<br>7. झारग्राम<br>8. अलीपुरद्वार<br>9. जलपाईगुड़ी | श्री चन्दन कुमार,<br>सहायक अभियंता       | 9508527604 |


विहित प्रपत्र में प्रतिदिन प्रतिवेदन श्री अभय नन्दन अम्बष्ठ, संयुक्त सचिव को समर्पित करेंगे।

  
(अमिताभ कौशल)  
सरकार के सचिव

ज्ञापांक:- 2406

राँची दिनांक:- 6.5.2020


प्रतिलिपि:- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/संबंधित सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(अमिताभ कौशल)  
सरकार के सचिव

ज्ञापांक:- 2406

राँची दिनांक:- 6.5.2020


प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, झारखण्ड/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

  
(अमिताभ कौशल)  
सरकार के सचिव

ज्ञापांक:- 2406

राँची दिनांक:- 6.5.2020


प्रतिलिपि:- सभी माननीय मंत्री, झारखण्ड सरकार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

  
(अमिताभ कौशल)  
सरकार के सचिव

ज्ञापांक:- 2406

राँची दिनांक:- 6.5.2020

प्रतिलिपि:- झारखण्ड राज्य के सभी माननीय सांसद एवं माननीय विधायक को सूचनार्थ प्रेषित।

  
(अमिताभ कौशल)  
सरकार के सचिव